

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशांसा के पश्चात ग्राम फागी (सिण) के खाता सं. 682 खसरा नं. में आवेदन पत्र अनुसार धनश्याम प्रधान पुत्र सूरजालाम उर्फ सूरजमल के स्थान पर धनश्याम पुत्र सूरज प्रधान शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश केम्प श्यामलाल राजा ग्राम पंचायत फागी में दिनांक 2/6/25 को मजमेआम में सुनाया गया।



2/6/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी